न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर

प्रार्थना पत्र/मुन्त./2024/24

जय चौधरी आयु 12 साल पुत्र श्री विशाल सिहं नावालिग जरिये विलायत माता रूप कुमारी आयु 38 साल पत्नी श्री विशाल सिहं जाति जाट निवासी ग्राम कबई तहसील व थाना नदबई जिला भरतपुर

.....प्रार्थी

बनाम

1. वेदप्रकाश पुत्र श्री रमेश चन्द
2. विशालसिहं
3. यशपाल सिहं } पिसरान वेदप्रकाश } जाति जाट निवासीयान कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर
4. संगीता
5. अंजना
6. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा डीग रोड भरतपुर विजय पंजाब नेशनल बैंक जरिये प्रबन्धक
7. बैंक ऑफ बडौदा शाखा नदबई जरिये प्रबन्धक
8. केनरा बैंक शाखा डहरा रोड शाखा नदबई
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

.....असल गैरअप्रार्थीगण

10. सब रजिस्ट्रार नदबई
11. करनसिहं पुत्र श्री परमवीर
12. कर्मवीर पुत्र श्री रमेशचन्द
13. गीतादेवी पत्नी श्री सुरेश चन्द
14. जानकी पुत्री श्री परमवीर
15. प्रेमचन्द पुत्र श्री राधेश्याम
16. भगवानस्वरूप पुत्र श्री राधेश्याम
17. बन्दना पत्नी श्री परवीर
18. सत्यवीर पुत्र श्री रमेश चन्द
19. कुशलपाल पुत्र श्री रमेशचन्द

.....तरतीवी गैरअप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज.टी.एक्ट विरूद्ध श्री गंगाधर मीना उपखण्डाधिकारी नदबई व सिलसिले मुकदमा उनवानी जय चौधरी बनाम वेदप्रकाश आदि मु0 नं0 197/2022

उपस्थितः—

1. श्री हनुमान प्रसाद गोयल अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री पंकज कुमार अभिभाषक असल अप्रार्थीयान

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

आदेश

दिनांक 27.09.2024

प्रार्थीया द्वारा यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र अपने नाबालिग पुत्र की ओर से विरूद्ध असल गैरप्रार्थीयान व खिलाफ उपखण्डाधिकारी नदबई इस आश्य का पेश किया गया, संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि न्यायालय उपखण्डाधिकारी नदबई के यहॉ एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राज0 टी.एक्ट दायर किया गया था। मु. सं. 197/2022 है। जिसके साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 टी.एक्ट भी पेश किया गया था। जिसका मु. नं0 188/2022 है। जिसमें प्रार्थी आराजी विवादग्रस्त उसके परबाबा रमेश चन्द की होने के कारण पैतृकता के आधार पर खातेदारी बाबत् दायर किया है। न्यायालय उपखण्डाधिकारी नदबई द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0 टी.एक्ट पर दिनांक 18.11.2022 को प्रार्थी के हिस्से की आराजी की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने, आराजी को रहन वय मुन्तकिल ना करने बाबत पाबंद किया था। अब प्रार्थी द्वारा यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र इस बाबत् पेश किया गया है कि गैर प्रार्थी सं0 1 की उपखण्डाधिकारी नदबई के यहॉ आना जाना है और प्रार्थीया ने कई बार उपखण्डाधिकारी नदबई के चैम्बर में गैरप्रार्थी संख्या 1 को जाते हुये एवं चेम्बर से निकलते हुये देखा हैं गैर प्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीया को दिनांक 31.5.2024 को धमकी दी है कि उसकी उपखण्डाधिकारी नदबई से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 टी0 एक्ट को खारिज कर जारी स्थगन आदेश को निरस्त करने की बातचीत हो गई हैं और व दिनांक 3.6.2024 को हरहालत में प्रार्थीया के जारीशुदा स्थगन आदेश को निरस्त कर देंगे। इससे प्रार्थीया को उपखण्डाधिकारी नदबई से उक्त प्रार्थना पत्र पर न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। इस कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अन्य किसी दीगर न्यायालय में प्रकरण मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की है।

प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई साथ ही उपखण्डाधिकारी नदबई से प्रार्थना पत्र की प्रति भिजवाई जाकर टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी की ओर से जबाव पेश हुआ हो शामिल मिसिल किया गया। वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दौहराते हुये तर्क दिया कि गैरप्रार्थी0 सं0 1 का उपखण्डाधिकारी नदबई के यहॉ आना जाना है। इस कारण प्रार्थीया को उपखण्डाधिकारी नदबई से उक्त प्रार्थना पत्र पर न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे।

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

योग्य अभिभाषक असल अप्रार्थी0 सं0 1 लगा0 5 का कहना है कि प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किये जाने में अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र मुन्तकिली में प्रार्थी ने जो आरोप लगाये हैं वे स्वीकर योग्य नहीं है क्यों कि प्रार्थी ने अपने मौखिक आरोपों के समर्थन में कोई साक्ष्य दस्तावेजी पेश नहीं किया है। जिस से मौखिक कथनों की पुष्टी होती हो। अप्रार्थी की सहमति देने से न्यायालय प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने को बाध्य नहीं है। न्यायालय को यह भी देखना है कि तहत न्यायालय में विचाराधीन दावा के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब न हो। बिना किसी ठोस कारण के प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किये जाने से तहत न्यायालय में विचाराधीन दावा के एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानान्तरण करने की प्रक्रिया में ही कॉफी समय बर्बाद हो जावेगा। ऐसी स्थिति में हम प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2024 को सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर